संसद का गठन-(Composition of the Parliament)

संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः राज्य सभा तथा लोकसभा होंगे। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की तरह राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना गया है। 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी और वर्तमान समय में संघात्मक विधानों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की जाती है।

राज्य सभा (Council of States)-

राज्य सभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त होता है। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक एक सदस्य 50 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है।

योग्यताएं-

1- वह भारत का नागरिक हो।
2- उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो।
3- वह किसी भी लाभ के पद पर न हो।

कार्यकाल - राज्य सभा एक स्थाई सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। परन्तु उनमें से एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष पश्चात पद निवृत हो जायेंगे और नवीन एक-तिहाई सदस्य पद ग्रहण करेंगे।

पदाधिकारी - संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्य सभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति

G. P. Rathaur

Scanned by TapScanner

निर्वाचित करती है।

राज्य सभा की शक्तियां- भारतीय संसद का उच्च सदन जो मुख्यतया राज्यों के हितों की रक्षा करता है। राज्य सभा को लोकसभा की अपेक्षा कम शक्तियां दी गई हैं।

1- धन विधेयकों को छोड़कर विधायी क्षेत्र में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और यह दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रुप से पारित होना चाहिए।
2- राष्ट्रपति के चुनाव व उन पर महाभियोग चलाने की शक्ति (54, 61)
3- उपराष्ट्रपति का चुनाव एवं पदच्युति की शक्ति (66)
4- अनुच्छेद 352, 356 व 360 के अंतर्गत उदघोषित आपातकाल स्थिति के अनुमोदन की शक्ति। लोकसभा के भंग होने के स्थिति पर ऐसे अनुमोदन का एकमात्र अधिकार।
5- वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्राप्त करना (अनु॰ 112)
6- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करना (151)
7- संघ लोकसेवा आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त करना (223)
8- अनुसूचित जातियों व जनजातियों (332), पिछड़े वर्गों (340) तथा भाषायी अल्पसंख्यक (350) आयोगों के प्रतिवेदन प्राप्त करना।
9- संविधान को संशोधन करने की शक्ति (368)

राज्य सभा को कुछ ऐसी विशेष शक्तियां प्राप्त है जो लोक सभा के पास नहीं है।

1- अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उपस्थित व वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर सकती है कि राज्य सूची में दिए गये किसी विषय पर केन्द्रीय संसद कानून बनाए।
2- अनुच्छेद 312 के द्वारा राज्य सभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह दो तिहाई बहुमत से एक या उससे अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाये।

Scanned by TapScanner